

राजस्थान वधानसभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परलिब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) वधियक, 2022 ध्वनमित से पारति

चर्चा में क्यों?

20 सतिंबर, 2022 को राजस्थान वधानसभा ने राजस्थान वधानसभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परलिब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) वधियक, 2022 को ध्वनमित से पारति कर दिया ।

प्रमुख बढि

- संसदीय कार्यमंत्री शांतकुमार धारीवाल ने वधियक को सदन में प्रस्तुत किया ।
- इस संशोधति वधियक के अनुसार राजस्थान वधानसभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परलिब्धियाँ और पेंशन) अधनियिम 1956 धारा 4-घ में नई उप-धारा (2) जोड़ी गई है ।
- इस संशोधन के बाद राजस्थान के पूर्व सदस्य रेल, वायुयान, पोत या स्टीमर में कसिी भी श्रेणी में वदिश यात्रा करने पर वास्तवकि करिए का पुनर्भरण प्राप्त कर सकेंगे, लेकनि ऐसी यात्रा के लयि वधानसभा अध्यक्ष से अनुमोदन आवश्यक होगा । पूर्व में यह सुवधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर यात्रा के लयि ही देय थी ।
- इससे पहले वधियक को सदस्यों द्वारा प्रचारति करने के प्रस्ताव को सदन ने ध्वनमित से असवीकार कर दिया ।